न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 117/19

वादी

1 बाबूसिंह वल्द हरिसिंह
2. दिलीपसिंह वल्द हरिसिंह
जाति राजपूत निवासी मोटाई
तहसील फलौदी जिला जोधपुर
(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. करणीपालसिंह वल्द मोहनसिंह
2. प्रेमकंवर पत्नि मोहनसिंह
3. भोमसिंह वल्द गंगासिंह
4. कालूसिंह वल्द गंगासिंह
जाति राजपूत निवासी मोटाई तह. फलौदी
5. करणसिंह वल्द पाबूसिंह
जति रापूत निवासी बाकली
तहसील सुमेरपुर जिला पाली
6. सुन्दर जोजे भगवानाराम
7. पप्पूबाई पत्नि राजेन्द्रकुमार
8. हीरालाल वल्द हरचन्दराम
9. सुखराम वल्द हरचन्दराम
10. लाछीदेवी जोजे सहीराम
11. भूरीदेवी जोजे मोहनराम
जाति विश्नोई निवासी धोलासर तह. लोहावट
12. महेन्द्रसिंह वल्द आसुसिंह
13. छेलकंवर पत्नि आसूसिंह
जाति राजपूत निवासी शैतानसिंह नगर
तहसील लोहावट
14. रोहित तेतरवाल वल्द हजारीराम
वल्द धुड़ाराम ना.बा. की वली दादी रामप्यारी
पत्नि धुड़ाराम
15. मनोहरी पत्नि पेमाराम
16. सुरेश पि. हनुमानाराम
17. रिमझुदेवी पत्नि खेतसिंह
18. ओमप्रकाश वल्द खेतसिंह
19. रमेशचन्द्र वल्द खेतसिंह
जाति विश्नोई निवासी चिड़ी मोटाई
तहसील फलौदी
20. झाबरसिंह पि. बदरीप्रसाद
जाति जाट निवासी नीमकाथाना जिला सीकर
21. रणजीतसिंह मील पि. रामेश्वरलाल मील

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

जाति जाट निवासी सीकर
22. बृजराजसिंह पि. नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी द्रोणपुरी हरिपुरा जयपुर
23. मनोजकुमार मील पि. रामेश्वरलाल मील जाति जाट निवासी नवलगढ़ जिला सीकर

उपस्थिति :–

01. प्रार्थीगण कि ओर से अधिवक्ता प्रवीणसिंह राठौड़।
02. अप्रार्थी सं. 14 व 15 कि ओर से अधिवक्ता पुनाराम विश्नोई।

–: निर्णय :–

निर्णय.. 21/01/19

वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की सम्मलाति खातेदारी की भूमि ख.स. 4 रकबा 461.18 बीघा सरहद मौजा चिड़ी पटवार सर्कल मोटाई तहसील फलौदी मे स्थित है। उक्त भूमि वक्त सैण्टलमेन्ट माजीसा राजकंवर पत्नि खेतसिंहजी के नाम दर्ज थी माजिसा राजकंवर फौत हो चुकी है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा हरीसिंह के वारिसान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का और 1/2 हिस्सा गंगासिंह के वारिसान् अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 का है इसी अनुसार ही उक्त भूमि में इनका कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्व चला आ रहा है। मौके पर इनकी अलग अलग रहवासी ढ़ाणिया बनी हुई है जिसमें वे अपने परिवार सहित 12 ही मास निवास करते आ रहे है व उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार काश्त कर प्राकृतिक पैदावर का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। माजीसा राजकंवर ने उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 के पिता व 2 के पति मोहनसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 5 करणसिंह को कभी भी बख्सीस नही की न ही उनके पक्ष में विधिवत् कोई बख्सीसनामा ही तेरहीर किया और न ही ऐसा कोई बख्खसीसनामा प्रभाव में ही है लेकिन अप्रार्थीगण सख्या 1 के पिता व 2 के पति मोहनसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 4 करणसिंह ने पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत पलीना से मिलावट कर राजकंवर द्वारा अपने हक में उक्त भूमि खसरा सं. 4 रकबा 461.18 बीघा का बख्सीस होना बताकर नामान्तरणकरण संख्या 12 मौजा चिड़ी अपने हक में भरवाकर ग्राम पंचायत पलीना से स्वीकृत करवा लिया उक्त नामान्तरकण स्वीकृत करने से पूर्व संरपच ग्राम पंचायत पलीना ने राजकंवर या उनके वारिसान् को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया न ही बख्सीसनामे के दस्तावेजा की कोई जांच ही की और न ही उक्त भूमि के कब्जे बाबत् कोई जांच की तथा उक्त नामन्तरकरण ग्राम पंचायत पलीना की विधिवत बुलाई गई किसी भी बेठक में पेश नही हुआ न ग्राम पंचायत पलीना ने उसे स्वीकृत ही किया है उक्त नामान्तरकरण सरपंच पलीना द्वारा अकेले अपनी निजी उपस्थिति में मोहनसिंह व करणसिंह से मिलावट कर उन्हे नाजायज फायदा पहुचाने की नियम से स्वीकृत किया है। जो सरासार गलत और विधि विरूद्ध होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है।

राजकंवर ने अपने जीवनकाल में मोहनसिंह व करणसिंह के हक में कोई बख्सीसनामा तेहरीर नही किया बख्सीसनामा का लेख्य पत्र विधि अनुसार निश्चित स्टाम्प ड्यूटी देकर सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रड होना आवश्यक है लेकिन इस मामले में न तो ऐसा कोई बख्सीसनामा लिखा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फलोदी

Scanned by CamScanner

अधिकारी फलौदी न्यायालय में विचाराधिन है व ख.न. 4 रकबा 461.18 बीघा भूमि का सन् 1966 से आज दिनांक तक विभिन्न क्रेतागण (अप्रार्थीगण) को भूमि पंजीबद्ध बेचननामा से बेचान हो चुकी है व वर्तमान में खरीददारों (अप्रार्थीगण) के नाम दर्ज है व वर्तमान में वादीगण न तो राजस्व रेकर्ड में खातेदार है और न ही उक्त जमीन पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त है।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया गया तथा प्रार्थीगण न तो विवादित भूमि में खातेदार है और न ही मौके पर कब्जा काश्त में है अतः प्रार्थी को किसी प्रकार कि अपूर्णनीय क्षति होना नही पाया गया व किसी प्रकार की सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष नही पाया गया। अतः पूर्व में दिनांक 08.01.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का काबिले खारिज होने से अस्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मुल पत्रावली के साथ सलग्नं कि जावे।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner